पत्रांक–04 / HFA–14 / 2015(खण्ड) / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अपर सचिव–सह–उप निदेशक,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु State Level Technical Cell एवं City Level Technical Cell के गठन एवं गठन पर होने वाले व्यय की राशि रू0 235462800.00 (तेईस करोड़ चौवन लाख बासठ हजार आठ सौ रू0 मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। योजना का उद्देश्य मिशन अवधि 2015–22 में राज्य के शहरी क्षेत्र के आवास विहीन लाभुकों को आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु योजना के मार्गदर्शिका के कंडिका 12.13 एवं 12.14 में वर्णित प्रावधान के अनुसार राज्य स्तर पर 5–10 सदस्यीय State Level Technical Cell (SLTC) एवं नगर निकाय स्तर पर 2–4 सदस्यीय CLTC रखने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर दो वर्षों के लिए SLTC के 10 सदस्यों एवं नगर निकाय स्तर पर CLTC के 209 सदस्यों (पटना नगर निगम–05 सदस्य, अन्य 11नगर निगम–03 सदस्य, 43 नगर परिषद–02 सदस्य एवं 85 नगर पंचायत–01 सदस्य) के मानेदय हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 होगा तथा O&M की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। व्यय की जाने वाली राशि का मदवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र.सं.	मद	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल
1	मानदेय	49560000.00	148680000.00	198240000.00
2	O&M	38656800.00	00.00	38656800.00
	कुल–	88216800.00	148680000.00	236896800.00

पटना नगर निगम हेतु 05 सदस्यीय CLTC के गठन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से सहमति प्राप्त की जा रही है, तत्काल योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में पटना नगर निगम में भी 04 सदस्यीय CLTC का गठन किया जा रहा है। इस प्रकार सम्प्रति दो वर्षों के लिए राज्य स्तर पर 10 सदस्यीय SLTC एवं निकाय स्तर पर CLTC के 208 सदस्यों (पटना नगर निगम–04 सदस्य, अन्य 11 नगर निगम–03 सदस्य, 43 नगर परिषद–02 सदस्य एवं 85 नगर पंचायत–01 सदस्य) के गठन एवं उनके मानदेय

हेतु केन्द्रांश रू0 147780000.00, राज्यांश रू0 49260000.00 एवं O&M की राशि राज्यांश रू0 38422800.00 अर्थात कुल राशि रू0 235462800.00 (तेईस करोड़ चौवन लाख बासठ हजार आठ सौ रू0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। पटना नगर निगम हेतु पाँच सदस्यीय CLTC के गठन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त होने पर एक अतिरिक्त सदस्य के लिए इस संबंध में अलग से स्वीकृति संसूचित की जायेगी।

2. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन दिनांक–09.01.2019 को संचिका के पृष्ठ–35/टि. पर एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन दिनांक–27.02.2019 के संचिका के पृष्ठ–57/टि. पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/
अपर सचिव–सह–उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/HFA–14/2015(खण्ड) 672 पटना, दिनांक–5/3/19

प्रतिलिपिः– माननीय वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/विशेष सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक/संयुक्त सचिव–सह–सहायक निदेशक/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव–सह–निदेशक के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/3/19

अपर सचिव–सह–उप निदेशक।